राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 12/परीक्षा/RAS-RTS/TSP/2018-19

दिनांक : 04.05.2018 आयोग द्वारा **अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014** के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2018 (टीएसपी क्षेत्र) के लिये कार्मिक (क-4/2) विभाग द्वारा सूचित पदों हेतु **ऑन लाइन आवेदन पत्र (On Line Application form) आमंत्रित किए** जाते हैं। आवेदक विज्ञापित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिए एक ही आवेदन—पत्र प्रस्तुत करें। शासन से प्राप्त रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।) का सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

अधीनस्थ सेवा के पद

क.	सेवा का नाम	कुल	आरक्षित पद					क्षैतिज आरक्षण								
सं.			पद सामान्य	तामान्य -	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग	ताजन सैनिक		<i>ا</i>		
			सा.	н .	सा.	н.	सा.	н.	सा.	н .	सा.	н .	नि:शक्तजन	भूतपूर्व सै	उत्कृष्ट खिलाड़ी	विभागीय / मंत्रालयिक
1	राजस्थान तहसीलदार सेवा	10	4	1	1	0	3	1	0	0	0	0	1 (1 BL)	1	0	0
2	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा	8	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा	9	4	1	0	0	3	1	0	0	0	0	1 (1 BL)	1	0	0
6	राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	37	19	5	1	0	10	2	0	0	0	0	2 (2 BL)	2	0	0

वेतनमान — अधीनस्थ सेवाएं

		40 1 11 1 <u>9</u> 1	91 1	रानाउ	
क्र.	सेवा का नाम	वेतनमान	क्र.	सेवा का नाम	वेतनमान
सं.		(Pay Matrix)	सं.		(Pay Matrix)
1	राजस्थान तहसीलदार सेवा	L-11	4	राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा	L-10
2	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा	L-10	5	राजस्थान महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सेवा	L-11
3	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा	L-10	6	राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा	L-10

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : — Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.

दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 40 से कम।

दृष्टि से पात्र थे।

ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से कम है, के लिए आवेदन शुल्क अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के समान रहेगा। भूतपूर्व सैनिक जो आगामी एक वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त N.O.C. के आधार पर पेंशन अर्जित करने के पश्चात् उक्त पद के लिए आवेदन कर सकता है, परन्तु आयोग द्वारा मांगे जाने पर मुख्य परीक्षा दिनांक से पूर्व उसे सेना से सेवा निवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट : — इस विज्ञापन के तहत् राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदनकरें। अन्य क्षेत्रके अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथ अपात्र होंगे।							
आयु सीमा में छूट के प्रावधान							
क्र.सं.		अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)				
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जार्	ते, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष	5				
2.		नुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10				
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5				
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यव	क्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं				
		सामान्य	10				
5.	निःशक्तजन	पिछड़ा / अति पिछड़ा वर्ग	13				
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	15				
		अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान					
1	उस भूत्पर्वू कैदी के मामले में जो	अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नि	युक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा				
		कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।					
	The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prison						
2	who was not over age before	his conviction and was eligible for appointment under the ru भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार	nes,				
2	चुका था और इन नियमों के अधी	नूरायूप करा के नानल ने लागू गेहा होगा जा दावाताद्ध से यूप सरकार न निग्रक्ति के पान था।	प अवार किसा पद पर Substantive तार पर सपा कर				
			had served under Government on a substantive				
	The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substanti basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules,						
	राजस्थान राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में Substantive तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आय सीमा 45 वर्ष होगी।						
3	The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity shall be 45 years.						
4	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष होगी।						
	The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of panchayat samities and zila parishads in substantive capacity						
	shall be 45 years.						
5	राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निगमों में Substantive रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।						
	The upper age limit for persons serving in state public sector Undertakings/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.						
6	एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी						
	और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the case of cadet						
	Instructor and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.						
7	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा						
· •	जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की						

The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। 8

The upper age limit for the reservist; namely the defense personnel transferred to the reserve and the ex-service personnel shall be 50 years

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 18–ए में विहित प्रावधान निम्नानुसार है 9

(ii) relaxation in upper age limit shall be-

(b) for all Subordinate Services, except Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989 and Rajasthan Jail Subordinate Service Rules, 1998 - fifteen years, (c) for all other Services or posts-equal to the length of military service increased by three years:

Provided that permissible age after relaxation work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission/Appointing Authority and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.

- ">
 (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा।
 (2) शासन से प्राप्त् सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण मे किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी ऊपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम् आयु सीमा में छूट
- उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2016 में विज्ञापित किये गये थे, जिसके तहत् आयु की गणना का आधार 01.01.2017 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **एक वर्ष की छूट** देय होगी।

 (4) अन्य विशिष्ट श्रेणियों में आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य

Z	अन्य विवरण							
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।							
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।							
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जावेगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर अलग से जारी किया जाएगा।							
परीक्षा का स्थान एवं माह	प्रारम्भिक परीक्षा राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर एवं मुख्य परीक्षा राजस्थान के सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की संभावना है। उक्त पदों की प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तिथि यथासमय घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवंदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।							
आवेदन अवधि	दिनांक 10-05-2018 से दिनांक 31-05-2018 रात्रि 12—00 बजे तक।							
आवेदन प्रक्रिया	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply Online Link को Select कर एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लोगिन कर Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा।							
	 Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें तािक किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लिम्बत सल्यापन समय रहते हो सके। 							
ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 01-06-2018 से दिनांक 07-06-2018 रात्रि 12—00 बजे तक।							

विशेष नोट :

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा / साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन
- आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
 (2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
- (1) Scheme of examination: The Combined Competitive Examination will be held in two successive stages-
 - Preliminary Examination, and
- (ii) Main Examination
- (i) <u>Preliminary examination</u>: The Preliminary Examination will consist of one paper on the subject specified below, which will be of objective type and carry a maximum of 200 marks. The examination is meant to serve as a screening test only. The Standard of the paper will be that of a Bachelor's Degree Level. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidates, who are declared qualified for admission to Main Examination will not be counted for determining their final order of merit.

Subject	Maximum Marks	Time
General Knowledge & General Science	200	Three hours

(ii) Main examination:

- (a) The number of candidates to be admitted to the Main Examination will be 15 times the total approximate number of vacancies (category wise) to be filled in the year in the various Services and posts, but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks as may be fixed by the Commission for any lower range will be admitted to the Main Examination.
- (b) The written examination will consist of the following four papers which will be descriptive/analytical. A candidate must take all the papers listed below which will also consist of question paper of brief, medium, long answer and descriptive type questions. The standard of General Hindi and General English will be that of Sr. Secondary level. The time allowed for each paper shall be 3 hours.

	to that of St. Secondary to ten the time and wed for each paper shall be S hours.			
	Papers	Maximum Marks		
Paper I	General Studies-I	200		
Paper II	General Studies-II	200		
Paper III	General Studies-III	200		
Paper IV	General Hindi and General English	200		

(2) Personality and viva-voce Examination (See rule 15):-

- (i) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test of the Main Examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test which carries 100 marks.
- (ii) The Commission shall award marks to each candidate interviewed by them. In interviewing the candidates besides awarding marks in respect of character, personality, address, physique, marks shall also be awarded for the candidate's knowledge of Rajasthani culture. However for selection to the Rajasthan Police Service, candidates having 'C' Certificate of N.C.C. shall be given preference. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate.

$\textbf{(3)} \ \underline{\textbf{General Instructions}}:$

- (i) All papers shall be answered either in Hindi or in English, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi and partly in English unless specifically allowed to do so.
- (ii) If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.
- (iii) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination
- (4) Syllabus and scope of the papers: The syllabus and scope of each paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

 | विशेष सूचना :- "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित

शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रृटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय—समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट http://www.rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरमाष सं.— 0145—2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(दीप्ति शर्मा) उप सचिव